Dr. Gautam Kumar
BA(H) part-II
Paper-III

मौलिक/मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)

26 जनवरी, 1950 को लागू किए गए, भारतीय संविधान में नागरिकों के केवल अधिकारों का ही उल्लेख किया गया था। बाद में यह अनुभव किया गया कि संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। वर्ष 1976 में संविधान में 42वें संशोधन करते हुए संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। इसे संविधान के भाग चतुर्थ 'अ' के रूप में जोड़ा गया एवं अनुच्छेद-51 (ए) के रूप में जोड़ा गया। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त 10 मौलिक कर्तव्य निम्न प्रकार हैं:—

(i) **संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान** – भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।

(ii) **राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन** – भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोये रखें और उनका पालन करे।

(iii) **भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा** – प्रत्येक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वह भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्य बनाये रखें।

Scanned with CamScanner

(iv) देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा - प्रत्येक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे तथा आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।

(v) भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास - भारत के सभी लोगों में मधुर संबंध और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो और ऐसी क्रियाओं का त्याग करें, जो स्त्रियों की मर्यादा के विरुद्ध हो।

(vi) समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परम्परा की रक्षा - हमारी समन्वित संस्कृति के गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और संरक्षण करें।

(vii) प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव - प्रत्येक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव भी हैं की रक्षा और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी-मात्र के प्रति दया भाव रखे।

(viii) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास - प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।

(ix) सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना - प्रत्येक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे तथा हिंसा से दूर रहे।

Scanned with CamScanner

(x) व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास- प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्नों और उपलब्धियों की ऊँचाईयों को छू सके।

(xi) वर्ष 2002 में, 86वाँ संवैधानिक संशोधन करके अनुच्छेद - 51 (क) को संशोधित करते हुए 11वाँ मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। यह मूल कर्तव्य- " माता-पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें।"

आलोचना- मूल कर्तव्य के संबंध में यह आलोचना की जा सकती है:-

(i) कर्तव्यों के उल्लंघन पर दण्ड की व्यवस्था नहीं - भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के उल्लंघन करने पर दण्ड का प्रावधान नहीं है।

(ii) भाषा की अस्पष्टता - आलोचकों के अनुसार, संविधान में वर्णित कई मूल कर्तव्यों की भाषा अस्पष्ट है। उदाहरणार्थ - सुधार की भावना का विकास और सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के प्रयास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद ~~और [illegible]~~ आदि

(iii) आध्यात्मिक आदर्शवादी - आलोचकों के अनुसार, अनेक मूल कर्तव्य व्यवहारिक न होकर आध्यात्मिक आदर्शवादी और कोरे आदर्शवादी हैं।

(iv) शासन के अत्याचार की आशंका - आलोचकों के अनुसार, मूल कर्तव्यों का उल्लेख करने में, जिस शब्दावली को अपनाया गया है, उसकी आड़ में शासन, जनता पर अत्याचार कर सकती है।

Scanned with CamScanner